[29/12/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 856]

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 856 द्वारा श्री नीरज विनोद दीक्षित माननीय सदस्य विधानसभा

एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

क्रमांक/परिवहन/KMS2020-21/996

भोपाल, दिनांक 09.12.2020.

KMS 2020-21
निर्देश क्र. 33 का
स्पष्टीकरण

प्रति,

जिला प्रबंधक,
एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,
समस्त(खरीफ उपार्जन जिले)।

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र पर हैण्डलिंग एवं मूव्हमेंट की दरों के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ/परिवहन/लय के पत्र क्रमांकनुख्या -:KMS 2020-21/41390/2020-21/678 दिनांक 29-11-2020 ।

उपार्जन केन्द्र से गोदाम की दूरी 200 मीटर तक के लिए हैण्डलिंग तथा मूव्हमेंट की दरें राज्य स्तरीय समिति ने रूपये 12/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों पर हैण्डलिंग व मूव्हमेंट की दरों में पिछले वर्ष से कोई भी कमी नहीं की गई है। भारत सरकार के पत्र क्रमांक/192(1)2019-Fc A/cs Part file-1 दिनांक 24.02.2020 में मंडी लेबर के कार्यों में से एक कार्य Loading for dispatch from procurement centre है, जिसकी दरें मंडी लेबर की दरों के निर्धारण हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 5.03.2020 में रूपये 5/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं। चूंकि गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों में हैण्डलिंग तथा मूव्हमेंट के कुल कार्यों में Loading for dispatch from procurement centre भी एक कार्य के रूप में भी आता है, एवं उस कार्य में मंडी लेबर में चूंकि पूर्व से ही निहित व समाहित की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में एक ही कार्य के लिए दो जगहों से राशि प्रदाय नहीं की जा सकती है। अतः उक्त रूपये 12/- प्रति क्विंटल की दर को दो भागों में विभक्त करते हुए रूपये 5/- प्रति क्विंटल की राशि मंडी लेबर व्यय में विकलनीय होगी तथा रूपये 7/- प्रति क्विंटल की राशि परिवहन मद में विकलनीय होगी एवं मंडी लेबर व्यय के उक्त कार्य में Loading for dispatch from procurement centre मान्य होगा तथा परिवहन व्यय में अनलोडिंग व गोदाम के अंदर स्टेकिंग तक के कार्य मान्य होंगे।

2. इसी प्रकार गोदाम स्तरीय केन्द्रों में जहां उपार्जन स्थल से गोदाम की दूरी 400 मीटर या उससे अधिक है, उसके संबंध में राज्य स्तरीय समिति द्वारा रूपये 16/- प्रति क्विंटल की दरें निर्धारित की गई हैं। उक्त दरों में से Loading for dispatch from procurement centre की दरें रूपये 5/- प्रति क्विंटल मान्य होंगी, जो कि मंडी लेबर के अंतर्गत विकलनीय होगी तथा शेष रूपये 11/- प्रति क्विंटल की राशि जिसमें अनलोडिंग तथा गोदाम के अंदर शिफ्टिंग तथा स्टेकिंग की दर समाहित हैं, जो कि परिवहन मद में से विकलनीय होगी। इसके अनुसार भुगतान किया जा सकेगा।

3. गोदाम स्तरीय केन्द्र पर हैण्डलिंग व मूव्हमेंट का कार्य जिला स्तरीय उपार्जन समिति द्वारा उस स्थल पर कार्यरत उपार्जन समिति या संबंधित गोदाम के गोदाम स्वामी या किसी अन्य एजेन्सी से कराया जा सकता है, जिसके संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:-

(i) यदि उक्त कार्य संबंधित उपार्जन समिति द्वारा कराया जाता है, जिसमें उपार्जन केन्द्र से लोडिंग तथा गोदाम के अंदर तक मूव्हमेंट, शिफ्टिंग व अनलोडिंग तथा स्टेकिंग का समस्त कार्य यदि उपार्जन समिति द्वारा कराया जाता है तो उपरोक्त हैण्डलिंग व मूव्हमेंट का भुगतान बिंदु क्रमांक 1 अथवा 2 में वर्णित जैसी स्थिति हो, उसके अनुसार संबंधित उपार्जन समिति को देय होगा।

यदि बोरों पर स्टेन्सिल लगाने के पश्चात् लोडिंग का कार्य गोदाम मालिक/अन्य संस्था द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति मंडी लेबर मद मे समिति को देय हैण्डलिंग व्यय रूपये 5/- का कटोत्रा व समायोजन संबंधित उपार्जन समिति से करते हुए गोदाम मालिक/अन्य संस्था को देय होगा एवं यदि मूव्हमेंट, अनलोडिंग तथा स्टेकिंग का कार्य भी गोदाम मालिक अथवा अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शेष कार्य की राशि रूपये 7/- अथवा 11/- रूपये की राशि 200 मीटर अथवा 400 मीटर यथास्थिति अनुसार संबंधित गोदाम मालिक/अन्य एजेन्सी को परिवहन मद से देय होगी। उस स्थिति में उपार्जन समिति को हैण्डलिंग व मूव्हमेंट मद में कोई भी राशि देय नहीं होगी।

i) यदि गोदाम स्तरीय केन्द्रों में बोरों पर स्टेन्सिल लगाने के पश्चात् लोडिंग का कार्य समिति द्वारा किया जाता है तथा मूव्हमेंट, अनलोडिंग तथा स्टेकिंग का कार्य गोदाम मालिक अथवा अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में रूपये 5/- हैण्डलिंग की राशि समिति को मंडी लेबर मद से देय होगी तथा शेष कार्य की राशि रूपये 7/- अथवा 11/- रूपये की राशि संबंधित गोदाम मालिक/अन्य एजेन्सी को परिवहन मद से देय होगी।

जिला उपार्जन समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि उपरोक्त विभिन्न विकल्पों पर गोदामवार जिस भी संस्था ारा उक्त कार्य किए जा रहे हैं, उसका वर्गीकरण कर अपने अनुमोदन उपरांत संबंधित उपार्जन एजेन्सी को निर्धारित ारूप(संलग्न-1) में भेजना सुनिश्चित करेगी। ताकि, हैण्डलिंग तथा मूव्हमेंट के अंतर्गत विभिन्न कार्य हेतु संलग्न एजेन्सियां गोदाम की स्थिति अनुसार भुगतान की व्यवस्था बना सकें। उक्त कार्य को जिला उपार्जन समिति द्वारा इस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो व हैण्डलिंग एवं मूव्हमेंट का कार्य सुचारू तथा निर्बाध रूप से संपादित हो सके।

किसी भी स्थिति गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र पर हैण्डलिंग एवं मूव्हमेंट व्यय में 200 मीटर की दूरी हेतु देय कुल रु12/-प्रति क्विंटल व 400 मीटर की दूरी हेतु देय कुल रु16/- प्रति क्विंटल से अधिक का भुगतान नहीं किया जाये ।

संलग्नः-निर्धारित प्रारूप.

9/12/2020
(अभिजीत अग्रवाल)
प्रबंध संचालक
भोपाल, दिनांक 09.12.2020

पृष्ठांकन क्रमांक/परिवहन/KMS2020-21/ 996
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय-भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।
3. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश् भोपाल।
4. कलेक्टर, समस्त धान उपार्जन वाले जिले, मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन संचालक(वित्त)/समस्त महाप्रबंधक, मुख्यालय-भोपाल।
6. क्षेत्रीय प्रबंधक, एम.पी.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, समस्त।

9/12/2020
प्रबंध संचालक

अनुभाग अधिकारी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय

पंजीकृत कार्यालयः ब्लाक नं01,तृतीय तल, पर्यावास भवन भोपाल -462011
CIN-Ua5411MP1974 SGC 001268
फोन नं0 0755-2551276 फैक्स : 2551289, 2677647 ईपीबीएक्स नं. 2674544, 2768002
वेबसाईटः www.mpscsc.mp.gov.in ई-मेल- mdmpscsc@gmail.com